झारखण्ड सरकार

इंदिरा आवास योजना (IAY)

उद्देश्य-

अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों, बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराये गये श्रमिकों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए आवासीय इकाइयों का निर्माण तथा रहने के अयोग्य कच्चे मकानों के उन्नयन हेतु अनुदान सहायता उपलब्ध कराना ।

कार्य-

अनुसूचित जाति/जनजाति के मुक्त बंधुआ मजदूरों के लिए मकानों का निर्माण करना तथा गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण व्यक्तियों को अनुदान मुहैया कराकर मदद करना। इसके अन्तर्गत इंदिरा आवास के निर्माण हेतु 25,000 रू0 तथा कच्चे मकान के उन्नयन हेतु 12,500 रू0 देने का प्रावधान है। आवंटित राशि का 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति के गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए तथा 3 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग लोगों के आवास निर्माण एवं उन्नयन हेतु कर्णांकित है । योजना की राशि सीधे लाभुक को ही दी जाती है और मकान का निर्माण उसके द्वारा स्वयं कराया जाता है।

कार्यान्वयन-

इस योजना का कार्यान्वयन जिला ग्रामीण अभिकरण के द्वारा प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के माध्यम से किया जाता है।

लाभान्वित-

इस योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति, बंधुआ मजदूरी से मुक्त किये गये श्रमिक तथा गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के लोग इस योजनान्तर्गत लाभान्वित हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त युद्ध

में मारे गए रक्षा/अर्द्धसैनिक बलों के कर्मचारियों की विधवाऐं अथवा उनके निकट संबंधी, भूतपूर्व सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों के सदस्यों को भी इसका लाभ मिल सकता है बशर्ते वे इस योजना के सामान्य पात्रता की शर्ते पूरे करते हों। इस योजना के अंतर्गत निर्मित भवन सामान्यतः परिवार के महिला सदस्य के नाम से स्वीकृत होते हैं। विशेष परिस्थिति में भवन की स्वीकृति पति एवं पत्नी के संयुक्त नाम से भी दी जाती है।

चयन की प्रक्रिया -

योजानान्तर्गत ग्रामों का चयन DRDA तथा लाभुकों का चयन ग्राम सभा/आम सभा द्वारा किया जाता है।